09.09.2019

परिवादी मिश्री लाल राम, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

परिवादी का कथन है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बेनीपट्टी थाना के ग्राम–सोहरौल में हिन्दु अल्पसंख्यक है। परिवादी हिन्दु सम्प्रदाय के महादलित जाति के हैं। उसके गांव में मुसलमानों की संख्या अधिक है। उसके गांव के अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के मो0 इफतेखार हुसैन उर्फ आले 2. मो0 राजीक एवं 3.मो0 आजम द्वारा उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। इस संबंध में परिवादी के साथ मारपीट करने को लेकर बेनीपट्टी थाना कांड सं0–152/2011 परिवादी द्वारा संस्थित किया गया, जिसमें जबरदस्ती सुलहनामा दाखिल करने के उद्देश्य से उनलोगों द्वारा परिवादी की पत्नी के साथ मारपीट की गयी जिसमें परिवादी की पत्नी की मृत्यु हो गयी। इस घटना को लेकर बेनीपट्टी थाना कांड सं0–186/2011 संस्थित किया गया। इसी तरह परिवाद सं0–660/2007 (विचारण पंजी संख्या–731/2019) परिवादी द्वारा मो0 शकील व मो0 महफूज वगैरह के विरूद्ध न्यायालय में दाखिल किया गया। उपरोक्त तीनों आपराधिक मामले वर्तमान में सक्षम न्यायालयों में विचाराधीन है।

परिवादी के परिवाद पत्र पर पुलिस अधीक्षक, मधुबनी से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, मधुबनी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी द्वारा पूछ–ताछ के दौरान बताया गया कि उसने उपरोक्त आपराधिक मामले के अभियुक्तों के साथ सुलह कर लिया है तथा अब उसका उनलोगों से कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। हालांकि आज परिवादी द्वारा आयोग को उपरोक्त आपराधिक मामले के अभियुक्तों से सुलह करने से संबंधित तथ्य को अस्वीकार किया गया है।

अब, जबकि परिवादी द्वारा संस्थित उपरोक्त तीनों आपराधिक मामले सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो उन आपराधिक मामलों पर कोई भी निर्देश/आदेश देना उचित नहीं होगा।

आज आयोग के समक्ष परिवादी का कथन है कि उपरोक्त आपराधिक मामले के अभियुक्तों द्वारा अभी भी उन आपराधिक मामलों में जबरदस्ती सुलह करने हेतु धमकी दी जा रही है। परिवादी अगर चाहे तो उक्त धमकी के संबंध में उन न्यायालयों में याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ वर्तमान मे उक्त तीनों आपराधिक मामले लंबित हैं।

उक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है। तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक